उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या 1217/XIII-II/51(5)2005
देहरादूनः दिनांकः 19 ~~नवम्बर~~, 2008 दिसम्बर

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली के जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के संबंध में समान मार्गदर्शी निदेशों के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं में समन्वय माने हुए समान मार्ग निर्देशों के अनुरूप सभी परियोजनाओं का कियान्वयन किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं 591/2008/XIII-II/51(5) 2005 दिनांक 11 सितम्बर 2008 द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। श्री राज्यपाल महोदय उक्त एजेन्सी में विभिन्न विभागों संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देते हुए निम्नानुसार गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1	अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास	अध्यक्ष
2	एन0आर0ए0ए0, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
10	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
11	प्रमुख सचिव/सचिव, जलागम, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव
12	कुलपति, गो0ब0प0कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	सदस्य
13	प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
14	निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
15	निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
16	निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड	सदस्य
17	नाबार्ड, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
18	निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	सदस्य
19	निदेशक, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि शोध संस्थान, अल्मोड़ा	सदस्य
20	निदेशक, उत्तराखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उत्तराखण्ड	सदस्य
21	निदेशक, भू–जल बोर्ड, उत्तराखण्ड	सदस्य
22	प्रख्यात स्वयं सेवी संस्थानों में से दो प्रतिनिधि (नामित)	सदस्य
23	निदेशक, जलागम प्रबन्ध/मुख्य कार्यकारी अधिकारी SLNA	सदस्य

समान मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2008 के पैरा–26 के अनुसार एस0एल0एन0ए0 को तकनीकी सहयोग प्रदन करने हेतु विभिन्न सम्बन्धित विभगों से 4–7 विषयवस्तु विशेषज्ञों को नामित किया जायेगा। जिसमें एक महिला प्रतिनिधि का होना आवश्यक है। एस0एल0एन0ए0 के मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे:–

1. राज्य में जलागम क्षेत्रों के उपचार हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार कराना।
2. केन्द्र स्तरीय नोडल एजेन्सी के साथ राज्य की कार्ययोजना एवं नीतियों के सम्बन्ध मं सहमति पत्र पर हस्ताक्षर एवं समय–समय पर परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त करना।
3. जनपद पर जिला जलागम विकास इकाइयों (डी0डब्लू0डी0यू0) का गठन तथा तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना। योजनाओं के क्षेत्र चयन, प्राथमिकता का निर्धारण, क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन नीति हेतु दिशानिर्देश तैयार करना।
4. डी0डब्लू0डी0यू0 से प्राप्त योजनाओं का मूल्यांकन एवं स्वीकृत प्रदान करना।
5. वित्तीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए परिव्यय एवं ब जट की व्यवस्था हेतु राज्य एवं केन्द्रांश की व्यवस्था।
6. राज्य एवं जनपद स्तर पर डाटा बैंक की स्थापना तथा सूचनाओं का संकलन करना। जनपद राज्य एवं केन्द्रीय डाटा केन्द्र के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु लिंकेज की व्यवस्था।
7. राज्य के सहभागी संस्थाओं की क्षमता विकास हेतु संस्थाओं का चयन कर नीति तैयार करना।
8. जिला जलागम विकास इकाइयों (DWDU)के लिये कार्यदायी संस्थाओं के चयन हेतु पारदर्शी नीति तैयार करना।
9. योजनाओं के मूल्यांकन हेतु संस्थाओं का चयन एवं आडिट की व्यवस्था हेतु नीति तैयार करना तथा प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन अनुश्रवण व जलागम परियोजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी एवं सूचना उपलब्ध कराने हतु नीति तैयार करना।
10. आन लाईन अनुश्रवण की गुणवत्ता बनाये रखना व स्वतंत्र एवं उपयुक्त संस्थाओं के साथ समन्वय एवं सम्पर्क हेतु रणनीति बनाकर कार्योत्तर अनुभव प्राप्त करना।
11. राज्य स्तरीय स्वतंत्र संस्थागत मूल्यांकन कर्ताओं के पैनल को तैयार करने हेतु नीति निर्धारण करना तथा मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु नियमित रूप से केन्द्रीय नोडल एजेन्सी से स्वीकृत करवाना।
12. परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु विशिष्ट दिशानिर्देश, तकनीकी मैनुअल आदि तैयार करना तथा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार एस0एल0एन0ए0 का एक पृथक खाता खोला जाएगा। अतः इस हेतु जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत एस0एल0एन0ए0 के खाता संचालन हेतु सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक सोसायटी गठित की जायेगी।

(नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 1217/XIII-II/51(5)2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव(वन ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजना से संबंधित विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मंडल नैनीताल।
7. मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. निजी सचिव, वन एवं जलागम को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. निजी सचिव, ग्राम विकास को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
13. निजी सचिव, कृषि को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
14. निजी सचिव, लघु सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
15. समस्त जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं से संबंधित अनुभाग उत्तराखण्ड सचिवालय।
16. विभागाध्यक्ष (वन, कृषि, ग्राम विकास, पंचायतीराज, लघु सिंचाई) उत्तराखण्ड।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एम0एच0 खान)

सचिव